प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2023 प्र0इ0रि0 सं. ..279/2023.....दिनांक..25/X/2023

2. (I)अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0दं0सं0

   (II) अधिनियम .... धारायें

   (III) अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.........................

   (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..431...... समय ..5:45 PM...

   (ब) अपराध घटने का दिन-.... दिनांक 27, 28-4-2023 व 02.05.2023

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थलः- पुलिस थाना पाटन, जिला सीकर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर 136 किमी

   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री अमित कुमार

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री मुरलीधर सैनी,

   (स) जन्म तिथी- उम्र 36 वर्ष,

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय- व्यापार

   (ल)पता- निवासी जीलो रेल्वे स्टेशन हाल निवास हाईस्कूल के पीछे मोदी बाग-2, नीमकाथाना, जिला सीकर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री शीशराम पुत्र श्री चौथमल, उम्र 48 वर्ष निवासी जयरामपुरा हाल हैड कानि0 नं0 339, पुलिस थाना पाटन, जिला नीमकाथाना।

2. श्री योगेन्द्र पुत्र श्री दिलबाग सिंह, उम्र 35 वर्ष निवासी मु.पो. अलीपुर वाया बगड़, जिला झुन्झुनूं हाल कानि0 नं0 242 पुलिस थाना पाटन, जिला नीमकाथाना।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 20,000/-रू0

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 27.04.2023 को परिवादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री मुरलीधर सैनी निवासी जीलो रेल्वे स्टेशन हाल निवास हाईस्कूल के पीछे मोदी बाग-2, नीमकाथाना, जिला सीकर ने एक टाईप शुदा शिकायत इस आशय की पेश करी कि "सेवामें, श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर। विषय:-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै अमित कुमार पुत्र श्री मुरलीधर सैनी निवासी जीलो रेल्वे स्टेशन हाल निवासी हाईस्कूल के पीछे मोदी बाग-2, नीमकाथाना का रहने वाला हूं मैने ग्राम जीलो मे एक आबादी के बीच मे बस स्टेण्ड से काला कोटा रोड़ पर 35 एयर भूमि महाजनो से ली थी जिस पर कुछ असामाजिक तत्वो ने कब्जा करने की नियत से मेरे द्वारा खरीदी गई भूमि मे तारबंदी व सींव से छेड़छाड़ कर दी थी जिसके संबंध में मैने थाना पाटन, जिला सीकर मे अभियोग संख्या 99/2023 व 121/2023 दर्ज करवाया था जिसकी तफ्तीश श्री शीशराम हैड कानि0 द्वारा की जा रही है जब मै दिनांक 25-4-2023 को मेरे मुकदमे मे त्वरित गति से अनुसंधान करने के लिए थाना पाटन पर जाकर श्री शीशराम जी हैड साहब से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि आपका काम हो जाएगा परन्तु उसके लिए 20,000/- रूपये देने पड़ेगे तथा यह भी बताया कि पांच हजार तो कम्प्यूटर पर लगा हुआ योगी नाम का सिपाही लेगा तथा पांच हजार मै लूंगा तथा दस हजार एसएचओ लेगा तथा मेरे पर दबाव बनाकर 5,000/- रूपये तो उसी समय ले लिए तथा 20000/- रूपये बाद मे देने के लिए कहा था। उसके पश्चात् दिनांक 26-4-2023 को श्री शीशराम हैड साहब का फोन आया तथा मुझे थाने पर बुलाया था जिस पर मै थाने पर जाकर श्री शीशराम जी से मिला तो थाने पर कम्प्यूटर पर काम करने वाले योगी नाम के सिपाही को कहा कि इनकी फाईल तैयार कर दे तथा इनसे बात भी कर ले। मैने श्री शीशराम हैड साहब को कहा कि आपकी सेवा कर तो दी इस पर श्री शीशराम हैड साहब ने कहा कि अभी तो 25 परसेंट ही सेवा की है तथा 75 परसेंट सेवा और यानी शेष 20,000/- रूपये की ओर मांग करी उसके बाद श्री शीशराम हैड साहब ने एसएचओ श्री राजेश सियाग से मिलवाया तो एसएचओ साहब ने मुझे उच्चाधिकारियो को दिए गए परिवाद के बारे मे उलाहना दी तथा मुकदमो मे एफआर लगाने की बात भी कही। तब मैने एसएचओ साहब से माफी मांगते हुए मेरे द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमो मे शीघ्र कार्यवाही करवाने हेतु निवेदन किया तो एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि तेरे को यह जमीन तो नही लेने दूंगा। उसके बाद श्री शीशराम मुझे एसएचओ साहब के कार्यालय से लेकर उनके कार्य करने वाले स्थान पर ले गए तथा मुझसे शेष बची रिश्वतीराशि 20,000/- रूपये की मांग करी तो मैने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसो की व्यवस्था नही है एक-दो दिन मे पैसो की व्यवस्था करके आपसे मिलता हूं। मै उक्त भ्रष्ट हैड कानि0 श्री शीशराम, योगी नाम के सिपाही व एसएचओ श्री राजेश सियाग को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई पूर्व की रंजिश नही है तथा ना ही कोई रूपयो पैसो का उधार लेन देन है। अत: मेरे उक्त प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी/- दिनांक 27-4-2022 एसडी/- अमित कुमार पुत्र श्री मुरलीधर सैनी निवासी जीलो रेल्वे स्टेशन हाल निवास हाईस्कूल के पीछे मोदी बाग-2, नीमकाथाना, जिला सीकर। मो0नं0 9785555151" परिवादी ने दरियाफ्त पर टाईपशुदा शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित सभी तथ्यो की पुष्टि करते हुए बताया कि मैने मुकदमा संख्या 99/2023 व 121/2023 पुलिस थाना पाटन, जिला सीकर मे दर्ज कराया था जिसका अनुसंधान श्री शीशराम हैड साहब द्वारा

किया जा रहा है। श्री शीशराम हैड कानि0 मेरे पक्ष मे कार्यवाही करने की ऐवज मे 20,000/- रूपये की रिश्वत की ओर मांग कर रहे है। मेरी उक्त रिपोर्ट पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से रिश्वत मांग का मामला पाया जाता है।

इस पर नियमानुसार दिनांक 27.04.2023 को परिवादी के साथ श्री आलोक कुमार हैड कानि0 10 को भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अमित सैनी आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 से मिलकर वार्ता करता है जिसमें परिवादी के सामने सह-आरोपी श्री योगेन्द्र कानि0 आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 से कहता है कि **परिवादी ने 25 परसेन्ट सेवा की है 75 परसेन्ट बाकी** है इस बात पर आरोपी अधिकारी श्री शीशराम हैड कानि0 कोई आपत्ति नही करता है। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान ही परिवादी जब आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 को कहता है कि पांच हजार आपको पूर्व मे दे दिए और बीस हजार रूपये ओर दे दूंगा इस बात को भी आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 द्वारा वार्तालात के दौरान **''हूं''** कह कर स्वीकार की है।

तत्पश्चात् दिनांक 28-4-2023 को कार्यालय में उपस्थित **परिवादी ने दृढ़ विश्वास** के साथ जाहिर किया कि कल हुई वार्ता के क्रम मे आज संदिग्ध अधिकारी श्री शीशराम हैड कानि0 एवं श्री योगेन्द्र कानि0 अवश्य ही मुझसे रिश्वत राशि की मांग करते हुए **तत्समय ही रिश्वत राशि प्राप्त कर सकते है** तथा परिवादी ने यह भी जाहिर किया कि संदिग्ध अधिकारीगण बहुत ही चालाक है व सावधानी बरत रहे है, इस कारण **संदिग्ध अधिकारीगण रिश्वत मांग के साथ ही रिश्वत राशि** के 20,000/- रूपये मुझसे प्राप्त करेगा तथा मुझे रिश्वत मांग के पश्चात् **ज्यादा समय** नही देंगें। उक्त परिस्थिति अनुसार परिवादी को समझाईश की गयी कि संदिग्ध अधिकारी आपसे रिश्वत की मांग कर लेता है तो आप कोई कारण बताकर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करायेगे व संदिग्ध अधिकारी को मांग के अनुसरण मे यदि रिश्वत राशि देने की आवश्यकता हो तो कार्यवाही मे लगने वाले समय को ध्यान मे रखते हुए कार्यालय मे **अग्रिम कार्यवाही आरंभ** की जाकर परिवादी श्री अमित कुमार सैनी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये प्रस्तुत किए गए। उक्त नोटो पर श्रीमती सुनीता महिला कानि0 43 से कार्यालय की आलमारी मे से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया जाकर श्रीमती सुनीता महिला कानि0 नं0 43 से फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त 20,000/-रू0 परिवादी की पहनी हुई जिन्स की पेंट के सामने की बांयी जेब में रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 28-4-2023 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर थाना पाटन के पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। दिनांक 28-4-2023 को जब परिवादी श्री अमित कुमार सैनी आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 339 से मिलने थाना पाटन मे जाता है ओर उसकी रिश्वत मांग अनुसार उसको रिश्वत राशि देने लगता है तब आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 उसे पहले फाईल कम्पलीट करने की कहकर फोन करने की बात कहता है तथा परिवादी जब बार-बार थाने पर आने की बात कहता है तब आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 उसे कहता है कि आपको नही आना पड़ेगा मै ही आपके पास आ जाउंगा इस प्रकार आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 चालाकी बरतते हुए रिश्वत राशि प्राप्त नही करता है।

इसी प्रकार दिनांक 2-5-2023 को परिवादी श्री अमित कुमार सैनी आरोपीगण लोक सेवक श्री शीशराम हैड कानि0 339 एवं श्री योगेन्द्र कानि0 242 से वार्ता करता

है जिसमें परिवादी जब आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 को कहता है कि योगेन्द्र जी ने कहा था कि 25 परसेन्ट तो आ गए 75 परसेन्ट रह गए है अब मुझे ये बताओ की पन्द्रह हजार देने है की बीस हजार देने है यह क्लीयर कर दो इस पर **शीशराम हैड कानि0** परिवादी से कहता है कि **ले लेंगे कोई दिक्कत नही है** अभी फाईल तैयार करने दो **एवं** आरोपी श्री शीशराम हैड कानि0 339 परिवादी श्री अमित कुमार से चालाकी बरतते हुए कहता है कि पहले हमे काम कर लेने दो फिर हम आपको बता देगें।

दिनांक 8-5-2023 को परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसके समक्ष दिनांक 28-4-2023 एवं 2-5-2023 को परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

दिनांक 12-6-2023 को परिवादी श्री अमित कुमार कार्यालय मे उपस्थित हुआ व प्रार्थना प्रस्तुत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आरोपीगण श्री शीशराम हैड कानि0 एवं श्री योगेन्द्र सिपाही को मेरे द्वारा ब्यूरो मे की गई शिकायत का शक हो गया है अब वह मेरे से मांगे गये रिश्वत के 20,000/- रूपये नही लेगें। इस पर परिवादी द्वारा पूर्व में सुपुर्द किए गए 20,000/- रूपये वापस लोटाए गए।

इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व रिश्वत मांग सत्यापन से पाया गया है कि परिवादी श्री अमित कुमार सैनी द्वारा पुलिस थाना पाटन पर पंजीबद्व कराये गये प्रकरण संख्या 99/2023 व 121/2023 की तफतीश श्री शीशराम हैड कानि0 339 के पास लम्बित थी। आरोपी लोक सेवक श्री शीशराम हैड कानि0 339 एवं श्री योगेन्द्र कानि0 242 द्वारा परिवादी के पक्ष मे कार्यवाही करने के लिए अपनी पदीय स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से रिश्वत की मांग करना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120बी भा0दं0सं0 की परिधी मे आता है।

अतः आरोपीगण (1)श्री शीशराम पुत्र श्री चौथमल, उम्र 48 वर्ष निवासी जयरामपुरा हाल हैड कानि0 नं0 339, पुलिस थाना पाटन, जिला नीमकाथाना, (2) श्री योगेन्द्र पुत्र श्री दिलबाग सिंह, उम्र 35 वर्ष निवासी मु.पो. अलीपुर वाया बगड़, जिला झुन्झुनूं हाल कानि0 नं0 242 पुलिस थाना पाटन, जिला नीमकाथाना के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(आहद खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री, आहद खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भादसं में आरोपीगण श्री शीशराम पुत्र श्री चौथमल हाल हैड कानि0 न0 339 पलिस थाना पाटन, जिला नीमकाथाना व श्री योगेन्द्र पुत्र दिलबाग सिंह हाल कानि0 242 पुलिस थाना पाटन, जिला नीमकाथाना के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 279/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

25/x/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2965-68 दिनांक 25.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक नीमकाथाना ।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-II, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।